अध्याय-१४

हिंसा

मानव जीवन में हिंसा एक बहुत व्यापक अधर्म है जो हमारे जीवन को अत्याधिक प्रभावित करती है। हिंसा का स्थूल या रूढ़ अर्थ है कि दूसरे प्राणियों को मारना। परन्तु शास्त्रकार मात्र इसे ही हिंसा नहीं मानते। उनके अनुसार हिंसा बहुत व्यापक रूप से जीवन को प्रभावित कर रही है। योगदर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास ने अहिंसा का परिभाषा योगसूत्र २.३० में की है। योगदर्शन में अहिंसा को प्रथम यम कहा है जिससे अष्टांगयोग का आरम्भ होता है। इस पर महर्षि व्यास लिखते है — **"अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः।"** अर्थात् अहिंसा का लक्षण है — **सर्वथा** = सब प्रकार से अर्थात् मन, वाणी और शरीर से, **सर्वदा** = सब कालों में, **सर्वभूतानाम्** = सभी प्राणियों में = सभी जीवों में, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में, **अनभिद्रोहः** = वैर का त्याग करना और प्रेम रीति से वर्त्तना।

इससे विपरीत प्रकार का कर्म हिंसा कहलाता है, अर्थात् किसी भी प्रकार से = मन, वाणी और शरीर से, किसी भी काल में किया हुआ, हो रहा या होने वाला कर्म, किसी भी प्राणी के प्रति चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ, सामान्य या क्षुद्र ही क्यों न हो, उनके प्रति वैर भाव रखना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, पीड़ा देना तथा मारना आदि कर्म = व्यवहार हिंसा कहलाता है। इस तरह हिंसा बहुत व्यापक अर्थों वाला कर्म है। आगे योगदर्शन कार ने हिंसा के ८१ इक्यासी भेद बतलाये हैं :—

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्॥

योग० २.३४॥

सूत्रार्थ :— (**हिंसादयः**) हिंसादि यम नियमों के विरोधी भाव (**वितर्काः**) वितर्क हैं, वे (**कृतकारितानुमोदिताः**) कृत = स्वयं किए हुए, कारित = दूसरों से करवाए हुए, और अनुमोदित = समर्थन किए हुए (जैसे — "हां, तुमने जो

इसको मारा या मारने का विचार किया, वह अच्छा है।") (**लोभक्रोधमोहपूर्वकाः**) लोभपूर्वक, क्रोधपूर्वक और मोहपूर्वक होते हुए (**मृदुमध्याधिमात्रा**) मृदु = हल्के, मध्य = मध्य और अधिमात्र = तीव्र भेद वाले, (**दुःखाज्ञानानन्तफलाः**) दुःख और अज्ञान रूप अनन्त फल को देने वाले होते हैं, (**इति**) इस प्रकार साधक को (**प्रतिपक्षभावनम्**) प्रतिपक्ष = वितर्कों की विरोधी भावना करनी चाहिए॥

धर्म के पालन में बाधाओं को वितर्क कहा जाता है। उन वितर्कों में हिंसा, असत्य, चोरी, कामवासना, पदार्थों का अत्याधिक संग्रह करना है। ये ही पाँचों यमों के विपरीत भाव हैं।

महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं —

तत्र हिंसा तावत् — कृतकारिताऽनुमोदितेति त्रिधा। एकैका पुनस्त्रिधा लोभेन मांसचर्मार्थेन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मो मे भविष्यतीति।

लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा मृदुमध्याधिमात्रा इति। एवं सप्तविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः। मृदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रिविधाः — मृदुमृदुर्मध्यमृदुस्तीव्रमृदुरिति। तथा मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य इति। तथा मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति। एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति। सा पुनर्नियमविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया। प्राणभृद्भेदस्या-परिसंख्येयत्वादिति।

एवमनृतादिष्वपि योज्यम्। ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्त-फला इति प्रतिपक्षभावनम्। दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्। तथा च हिंसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति। ततश्च शस्त्रादिनिपातेन दुःखयति। ततो जीवितादपि मोचयति।

ततो वीर्याक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्यं भवति। दुःखोत्पादान्नरकतिर्यक्प्रेतादिषु दुःखमनुभवति। जीवितव्यपरोपणात् प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्त्तमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वान् कथंचिदेवोच्छ्वसिति। यदि च कथंचित्पुण्या-वापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति।

एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासंभवम्। एवं वितर्काणां चामुमेवानुगतं विपाकमनिष्टं भावयन्न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत॥

(**तत्र**) उन सब वितर्कों में (**तावत्**) प्रथम जो (**हिंसा**) हिंसा है, वह (**कृतकारिताऽनुमोदिता**) कृत = व्यक्ति द्वारा स्वयं की हुई, कारित = दूसरों से करवाई हुई, तथा अनुमोदित = दूसरों द्वारा कृत हिंसा का अनुमोदन = समर्थन करना, (जैसे किसी ने हमारे किसी शत्रु का मारा और हमारे द्वारा मन में यह सोचना कि उसने हमारे शत्रु को मार कर अच्छा किया क्योंकि वह बुरा आदमी था, यह मानसिक अनुमोदन हुआ, और यदि हम उस मारने वाले के पास जा कर उसे कहते हैं "आपने अच्छा किया कि उसे मारा, वह बहुत दुष्ट था" तो यह वाणी के द्वारा उस हिंसा का अनुमोदन हुआ और यदि हम उस मारने वाले को शरीर रूप से भी समर्थन करते है या उसकी पीठ थपथपाते हैं तो यह शारीरिक अनुमोदन हुआ। हिंसा का अनुमोदन करना भी हिंसा ही कहलाता है।) (**इति त्रिधाः**) ये तीन प्रकार की हिंसा है। (**एका एका पुनः त्रिधा**) ये पूर्वोक्त तीन प्रकार की हिंसा प्रत्येक पुनः लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक होने से तीन-तीन प्रकार की है। (**लोभेन**) लोभ के कारण कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा (**मांसचर्मार्थेन**) अन्य प्राणियों के मांस, चमड़ा अथवा अन्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए होती है; (**क्रोधेन**) क्रोध के कारण कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा इसलिए की जाती है कि (**अपकृतम् अनेन इति**) इसने मेरा अपकार = अनिष्ट किया है इसलिए मैं भी इसका अपकार करुँगा; (**मोहेन**) मोह के कारण कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा इसलिए की जाती है कि (**धर्मो मे भविष्यति इति**) इस हिंसा से मुझे धर्म लाभ होगा अथवा परिवार आदि के प्रति मेरा धर्म = कर्त्तव्य पूरा होगा। (मोह से कृत, कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार की हिंसा इसलिये की जाती है कि इससे मेरा, मेरी स्त्री, पुत्र या अन्य किसी प्रियजन आदि का स्वार्थ सिद्ध होने से मेरा कर्त्तव्य = धर्म पूरा होगा। जैसे यज्ञ में स्वार्थ के लिए की गई हिंसा। देवी-देवताओं को मनुष्य, पशु आदि की बलि देना या इस्लाम में स्वयं के स्वार्थ के लिए अल्लाह को पशुओं की कुर्बानी देना भी मोह तथा लोभ पूर्वक हिंसा है।) इस प्रकार ये नौ प्रकार की हिंसा होती है।

(**लोभक्रोधमोहाः**) ये लोभ, क्रोध और मोह (**पुनः**) भी पुनः (**त्रिविधाः**) तीन-तीन प्रकार के होते हैं — (**मृदुमध्याधिमात्राः इति**) मृदु = हल्के स्तर के,

मध्य = मध्यम स्तर के और अधिमात्र = तीव्र स्तर के। (**एवम्**) इस प्रकार (**हिंसायाः**) हिंसा के (**सप्तविंशतिः भेदाः**) २७ सत्ताइस भेद (**भवन्ति**) होते हैं।

(**मृदुमध्याधिमात्राः**) मृदु, मध्य और अधिमात्र (**पुनः**) भी पुनः (**त्रिविधाः**) तीन प्रकार के होते हैं। जैसे (**मृदुमृदुर्मध्यमृदुतीव्रमृदुः इति**) मृदुमृदु = कुछ हल्के, मध्यमृदुः = मध्य स्तर के हल्के, तथा तीव्रमृदुः = अत्यन्त हल्के, इस प्रकार मृदु के तीन भेद हुए। (**तथा**) वैसे ही (**मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य इति**) मृदुमध्यः = कुछ मध्यम कोटि के, मध्यमध्यः = उससे अधिक मध्यम स्तर के, तथा तीव्रमध्यः = अत्यन्त मध्यम स्तर के, इस प्रकार मध्य के तीन भेद हुए। (**तथा**) वैसे ही (**मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति**) मृदुतीव्रः = हल्के प्रबल, मध्यतीव्रः = मध्य स्तर के प्रबल, तथा अधिमात्रतीव्रः = अत्यन्त प्रबल, इस प्रकार तीव्र स्तर के तीन भेद हुए। (**एवम्**) इस प्रकार (**एकाशीतिः**) ८१ इक्यासी (**भेदाः**) भेद वाली (**हिंसा**) हिंसा (**भवति**) होती है।

(**सा पुनः**) यह ८१ भेद वाली हिंसा फिर (**नियमविकल्पसमुच्चयभेदात्**) नियम, विकल्प और समुच्चय के भेद से (**असंख्येया**) असंख्य = अगणित भेद वाली होती है। क्योंकि (**प्राणभद् भेदस्य**) नियम, विकल्प और समुच्चय भेदों को करने वाले प्राणियों के भेद (**अपरिसंख्येत्वात् इति**) असंख्य होते हैं। (नियम भेद से हिंसा का अर्थ है कि जैसे कोई मछुआ यह कहे कि "मैं मछली को ही मारूँगा, अन्य जीवों को नहीं", इस प्रकार यह नियमित प्रकार की हिंसा हुई। विकल्प भेद से अभिप्राय है कि जैसे कोई कहे कि मैं भेड़ या बकरी में से किसी एक को मारूँगा, अन्य जीवों को नहीं, तो यह वैकल्पिक हिंसा है। समुच्चय भेद से अभिप्राय है कि जैसे कोई कहे कि मैं तो किसी प्राणी को नहीं छोड़ूँगा, सभी को यथाशक्ति मारूँगा, तो यह समुच्चय भेद की हिंसा हुई। इस प्रकार हिंसा असंख्य भेद वाली होती है क्योंकि नियम, विकल्प और समुच्चय भेद करने वाली प्राणियों के असंख्य भेद हैं।) (**एवम्**) इस प्रकार (**अनृतादिषु**) असत्य आदि वितर्कों में (**अपि**) भी (**योज्यम्**) योजना करनी चाहिए। अर्थात् जिस प्रकार हिंसा के असंख्य भेद है उसी प्रकार अन्य वितर्कों अर्थात् असत्य, स्तेय (चोरी), स्त्रीगमन (व्यभिचार आदि) तथा परिग्रह (सभी प्रकार से पदार्थों को संग्रह करना) के भी असंख्य भेद पूर्वोक्त प्रकार से होते हैं।

(**ते खलु अमी वितर्काः**) वे ये समस्त प्रकार के वितर्क निश्चय से

(**दुःखाज्ञानानन्तफलाः**) दुःख और अज्ञान रूप अनन्त फलों को देने वाले हैं, (**इति**) इस प्रकार विचार कर (**प्रतिपक्षभावनम्**) प्रतिपक्ष = वितर्क विरोधी भावना करनी चाहिए। ये सभी वितर्क दुःखरूप और अज्ञानरूप अनन्त फलों को देने वाले हैं। वस्तुतः एक कर्म एक ही बार फल को देता है। अनन्त काल तक अनन्त फलों को नहीं दे सकता। यदि ऐसा न हो तो कर्मफल व्यवस्था नहीं बन सकेगी और अन्याय होगा। फिर यहाँ अनन्त फल क्यों कहा है ? इसका उत्तर यह है कि जब व्यक्ति इन वितर्कों में फंसकर संसार चक्र की जन्म-मरण की अन्धश्रृंखला में फंस जाता है तो निरन्तर इन्हीं के संस्कारों से प्रभावित इन कर्मों को करता और उनका दुःख रूपी फल भोगता रहने के कारण इनसे छूटने की आशा नहीं रहती इसी कारण इन्हें अनन्त फल वाला कहा है।

इसको दोहराते हुए कहते हैं — (**दुःखम्**) दुःख (**च**) और (**अज्ञानम्**) अज्ञान रूप (**अनन्तम्**) अनन्त (**फलम्**) फल हैं (**येषाम्**) जिन हिंसादि वितर्कों के (**इति**) ऐसा जानकर (**प्रतिपक्षभावनम्**) प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। अर्थात् हिंसादि वितर्कों के प्रति अहिंसा आदि की भावना करनी चाहिए। (**तथा च**) तथाहि = क्योंकि (**हिंसकः**) हिंसा करने वाला (**तावत् प्रथमम्**) तो सबसे पहले (**वध्यस्य**) वध्य = जिसका वध करना है, ऐसे प्राणी के (**वीर्यम्**) वीर्य = उस हिंसक से छूटने के सामर्थ्य = बल को (**आक्षिपति**) नष्ट = अवरुद्ध करता है। (**ततश्च**) और उसके पश्चात् (**शस्त्रादिनिपातेन**) शस्त्रादि से प्रहार के द्वारा उसे प्राणी को (**दुःखयति**) दुःख देता है = अतिशय पीड़ा पहुँचाता है; (**ततः**) उसके पश्चात् उस प्राणी को (**जीवितात्**) जीवन से (**अपि**) भी (**मोचयति**) वियुक्त कर देता है। (**ततः**) उस प्राणी के (**वीर्याक्षेपात्**) वीर्य = बल के नाश करने से (**अस्य**) इस हिंसा करने वाले पुरुष के (**चेतनाचेतनम् उपकरणम्**) चेतन = स्त्री, पुत्र आदि तथा अचेतन = धनादि साधन (**क्षीणवीर्यम्**) सामर्थ्यहीन = निर्बल = निस्तेज (**भवति**) होते हैं। (**दुःखोत्पादात्**) प्राणियों को वध आदि के द्वारा अथवा अन्य रूप से अतिशय पीड़ा पहुँचाने से, यह पीड़ा देने वाला पुरुष (**नरकतिर्यकप्रेतादिषु**) नरक = दुःखदायी योनियों, तिर्यक = कीट, पतङ्गादि और प्रेतादि = मृत शरीरों में सूक्ष्म कीट आदि के रूपी में जन्म लेकर (**दुःखम्**) दुःखों को (**अनुभवति**) अनुभव करता = प्राप्त करता है।

(**जीवितव्यपरोपणात्**) वध्य प्राणी के जीवन को नष्ट करने के परिणामस्वरूप यह हिंसक पुरुष भी (**प्रतिक्षणम् जीवितात्यये च वर्त्तमानः**)

क्षण-क्षण जीवन नाश का प्रयत्न करता हुआ (**मरणम् इच्छन् अपि**) मरण की इच्छा करता हुआ भी (**दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्**) दुःख रूप फल के नियत होने से (**कथञ्चित् एव**) किसी प्रकार से (**उच्छ्वसिति**) साँस भर लेता हुआ जीवित रहता है। (**च**) और (**यदि कथञ्चित्**) यदि किसी तरह (**हिंसा**) वह हिंसा (**पुण्यावापगता भवेत्**) पुण्य कर्म के साथ मिलकर फल देने वाली हो जाये तो (**तत्र सुखप्राप्तौ**) तो पुण्यकर्म के कारण सुखप्राप्ति में भी (**अल्पायुः भवेत् इति**) अल्प आयु वाला होता है। (**एवम्**) इस प्रकार (**अनृतादिषु अपि**) असत्य आदि वितर्कों में भी (**यथासम्भवम्**) यथासम्भव दुःख और अज्ञान के अनन्त फलों की (**योज्यम्**) योजना कर लेनी चाहिए। (**एवम्**) इस प्रकार साधक को (**वितर्काणाम्**) हिंसा आदि वितर्कों के (**अनुगतम्**) बाद में मिलने वाले (**अमुम् एव**) दुःख रूप इस (**अनिष्टम्**) अनन्त दुःख-अज्ञान रूप अप्रिय = अनिष्ट (**विपाकम्**) फल को (**भावयन्**) विचारते हुए (**वितर्केषु**) हिंसादि वितर्कों में (**मनः न प्रणिदधीत**) मन नहीं लगाना चाहिए॥

यहाँ पर सबसे स्थूल हिंसा का उदाहरण रखकर महर्षि व्यास ने इस विवेचन को लिखा है। परन्तु इसको सभी प्रकार की हिंसा में समझना चाहिए। हिंसा का स्तर जितना तथा जिस प्रकार का होगा उसका फल, परिणाम भी उतना और उसी प्रकार का ईश्वरीय व्यवस्था में होगा।

जिस प्रकार हिंसा से दुःख प्राप्ति को बताया गया है उसी प्रकार असत्य, चोरी, व्यभिचार तथा परिग्रह से भी दुःख और अज्ञान के अनन्त फलों की प्राप्ति का भी विचार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हिंसा के इक्यासी भेद कहे हैं उसी प्रकार शेष वितर्कों = असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह के भी कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक, मृदु, मध्य, अधिमात्र करके नियम, विकल्प, समुच्चय और अगणित प्राणियों के भेद से अनन्त भेद वाले हैं, तथा इनका फल भी दुःख और अज्ञान ही है।

हिंसा के लिए जो मूल भावना है, वह है वैर का होना, द्रोह का होना। मात्र दुःख देने से ही कर्म को हिंसा के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता। जैसे :—

१. माता, पिता का पुत्रादि को अपराध पर दण्ड देना।
२. आचार्य का शिष्य को अपराध पर दण्ड देना।
३. राजा तथा न्यायाधीश का अपराधी को यथायोग्य दण्ड देना तथा

समाजिक व्यवस्था को सुचारू रखना।

४. जल्लाद द्वारा मृत्युदण्ड पाये हुए अपराधी को फांसी देना।

५. राष्ट्र की सीमा पर सेना द्वारा शत्रु के आक्रमण आदि स्थितियों में अपने अधिकारियों अथवा राजा के आदेश पर राष्ट्र की रक्षा हेतु शत्रुओं को मारना।

६. समाज में पुलिस द्वारा सामजिक शान्ति तथा न्यायव्यवस्था को बनाए रखने हेतु अपराधियों को यथायोग्य तथा अधिकारपूर्वक पकड़ना तथा दण्ड देना। आदि

उपरोक्त सभी उदाहरणों में दूसरों को दुःख प्राप्त होता हुआ भी, प्राण हरण होता हुआ भी, कर्म हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। परन्तु यदि इसी कर्म में वैर का समावेश हो जाये, अर्थात् कर्म वैर या द्रोह के कारण किया जाये तो दुःख यथायोग्य नहीं रहेगा तथा कर्म अनाधिकार पूर्वक हो जायेगा, अतःएव हिंसा कहलाएगा। जैसे माता, पिता या आचार्य का क्रोधपूर्वक पुत्र एवम् शिष्य की बिना अपराध पिटाई कर देना या किसी भी प्रकार से दण्ड देना या अपराध से अधिक दुःख देना हिंसा कहलाएगा। राजा या न्यायाधीश का लोभ, क्रोध या मोह पूर्वक दण्ड विधान करना, सेना में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थों हेतु या अनाधिकार प्राणियों को मारना तथा पुलिस द्वारा भी कम अपराध के अधिक दण्ड देना, या बिना अपराध के ही दण्डित करना अथवा न्यायालय के समक्ष दण्ड हेतु प्रस्तुत करना आदि कर्म हिंसा कहलायेंगे। इस अवस्था में अधिकार होने पर भी व्यक्ति लोभ, क्रोध या मोह से प्रभावित होकर दूसरों को बिना अपराध या अपराध से अधिक दुःख देकर हिंसा ही करता है।

किसी दूसरे द्वारा किये गए अपराध या अत्याचार का स्वयं बदला लेने की कार्यवाही क्रोध तथा मोह पूर्वक होने तथा अनाधिकार होने से हिंसा ही कहलाती है। जैसे किसी ने हमारे प्रति या हमारे किसी प्रिय बन्धु अथवा सम्बन्धी के प्रति कोई अपराध किया हो तो, उसका बदला लेने के लिए व्यक्ति अगर न्याय व्यवस्था का सहारा न लेकर, स्वयं ही उस अपराधी या दोषी को क्रोध या मोह पूर्वक दुःख पहुँचाने लग जाए, तो यह कर्म हिंसा की श्रेणी में आयेगा। हाँ यदि दूसरे के द्वारा कर्म अभी हो रहा है, तो उस स्थिति में स्वयं की तथा अपने आश्रितों या सम्बन्धियों या अन्यों की भी रक्षा हेतु उस अपराधी या दोषी को रोकने के लिए किया गया कर्म, हिंसा की श्रेणी में नहीं आयेगा। परन्तु

ऐसा कर्म भी यथायोग्य होना चाहिए। यदि कोई चोर आप के घर में चोरी करने आया हो तो अपनी एवं अपने सामान की रक्षा हेतु उसे रोकना, बाँधना तथा न्यायव्यवस्था के आधीन करना उचित होगा, परन्तु उसे जान से मारना या स्ववश करके भी मार-मार कर उसके अंग भंग करना अनुचित होगा = हिंसा होगी। इसका विशेष विवेचन आगे 'मानवीय कर्म विवेचन' के अध्याय में किया गया है।

मानव समाज में हिंसा बहुत प्रकार से फैली हुई है जैसे — मानव का मानवों के प्रति हिंसा तथा मानवों की पशु-पक्षी आदि निरापराध प्राणियों के प्रति हिंसा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर के द्वारा क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक दूसरों के प्रति हिंसा करता है। मानवों द्वारा दूसरों के प्रति, वैरपूर्वक कोई भी कर्म हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा। संसार में निरापराध प्राणियों के प्रति हिंसा बहुधा मांस के लोभ में ही होती है। हम यहाँ मानव समाज में निरीह प्राणियों के प्रति होने वाली हिंसा का स्वरूप प्रस्तुत कर रहें है, जिससे लगभग पूरा मानव समाज प्रभावित है तथा लगभग हम सभी किसी न किसी रूप से कृत, कारित अथवा अनुमोदित हिंसा के लिए दोषी भी है।

मनुस्मृति में कहा है :—

ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्॥ मनु० ५.४८-४६॥

अर्थात् :— प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हत्या करना सुखदायक नहीं है। इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए॥

और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको, प्राणियों की हत्या और बन्धन के कष्टों को देखकर, सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहें॥

मात्र प्राणियों को मारने और खाने वाले ही हिंसा के दोषी नहीं है परन्तु

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ मनु० ५.५१॥

अर्थात् : मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल लेने वाला, और बेचने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला ये आठ प्रकार के मनुष्य घातक = हिंसक है अर्थात् ये सभी पापी हैं।

इसी प्रकार मांस तथा मांस के उत्पादों को प्रयोग करने वाले — जैसे चमड़े की पेटियाँ, जूते, जैकेट आदि पहनने के वस्त्र, सजावट के समान आदि के क्रेता, विक्रेता भी हिंसा के दोषी है क्योंकि यह भी अनुमोदित हिंसा का ही रूप है।

पशुओं के साथ होने वाली बहुत प्रकार की हिंसा को मानव स्वयं न करता हुआ या करवाता हुआ भी, उस हिंसा से प्राप्त मांस से बनाये गये पदार्थों या वस्तुओं का प्रयोग करके, अनुमोदित हिंसा का दोषी होता है, क्योंकि यह तो ऐसा है कि आप उन्हें मारते रहे और हम इन उत्पादों का प्रयोग करते रहेंगे। हम यहाँ मानव समाज में पशुओं पर होने वाली हिंसा के कुछ उदाहरण दे रहें हैं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में लेख रूप में छपा था। क्या आप भी इसके लिए किसी प्रकार से दोषी तो नहीं है, चाहे परोक्ष अनुमोदन के रूप में ही सही? हम यहाँ तीन लेखों को जैसा का तैसा दे रहे हैं —

“यदि आपके साथ भी इन जानवरों जैसा व्यवहार हो तो?

आज मनुष्य की क्रूरता, निर्ममता एवं लोलुपता की सीमा बढ़ती जा रही है। इसे देख दानव भी लज्जित है। किसी जानवर की जीवित अवस्था में ही खाल उतार ली जाती है, तो किसी के बच्चों को उसके जन्म से पूर्व मादा जानवर के पेट में रहते हुए ही नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती है। पशु-पक्षियों पर हो रहे अत्याचार या क्रूर व्यवहार वन्य जीवों की खाल, सींग, मांस आदि प्राप्त करने एवं उनके व्यापारिक उपयोग के लिए किये जाते है। प्रसाधन सामग्री बनाने, इनके परीक्षण करने या फैशन की होड़ के कारण जीव-हत्या एवं जीवों पर क्रूरता को विगत कुछ वर्षों में बढ़ावा मिला है। यह शौक भी अद्भुत है, जिसके लिए असंख्य पशुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जैसे —

चीज (पनीर) ..... छी ..... छी ....

गाय दूध देती है। गाय के बछड़ा होता है। बछड़े के पेट में 'रेनेट' नामक पदार्थ पाया जाता है। रेनेट प्राप्त करने के लिए गाय के नवजात बछड़े को मार दिया जाता है। 'चीज' बनाते समय इसी का उपयोग किया जाता है। ऐसा 'चीज' अधिक जायकेदार माना जाता है। यद्यपि 'माइक्रोबायल रेनेट' भी चीज के काम में लाया जा सकता है, जो दही और वनस्पति से बनता है परन्तु यह तो स्वाद की बात है, जिसके लिए नवजात बछड़ों का वध किया जाता है। (वस्तुतः भारत में बनने वाले आम पनीरों में यह प्रयोग में नहीं लाया जाता। पहले यह भारत में डेनमार्क से आयात किया जाता था जिसपर सरकार द्वारा आयात करने की पाबन्दी लगा दी गई थी। परन्तु जब से विदेशी उत्पादों की भारत में खुली बिक्री की छूट सरकार द्वारा दी गई है तब से यह जानना जो अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि किस 'चीज' में रेनेट मिला है? भारत की एक कम्पनी द्वारा बनाये गये 'चीज' में भी रेनेट का प्रयोग किया जाता है — ऐसी सूचना विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई है।) गाय हमारी माता है, और उसके बछड़े का वध रेनेट के वास्ते! आपकी जबान के जायके के लिए !! बछड़े का जीवन और आज के दानव रूपी मानव का जायका !!! (यह कैसा राक्षसी व्यवहार है।)

शुतुरमुर्ग का थैला

हर छठे माह शुतुरमुर्ग के पंख नोचे जाते है क्योंकि लोगों को इस विशालतम पक्षी के पंखों से प्यार है। पंख नोच किए जाने के बाद इसकी खाल नोची जाती है। खरोचने और नोचने का यह क्रम तब तक चलता है, जब तक कि शुतुरमुर्ग के प्राण-पखेरू उड़ न जाएं। खाल का थैला बन जाता है और पंख आपके टोप में खोंस दिए जाते हैं।

बिज्जू का 'सैंट'

बिज्जू नाम का यह जानवर बिल्ली से बहुत छोटा होता है। बहुत कम लोगों ने इसे जंगल में देखा होगा, चिड़ियाघर में भले ही देखा हो। इस छोटे जानवर को बैंतों से पीटा जाता है, जिससे यह उद्वेलित हो जाए। उद्विग्नावस्था में इसके शरीर से वह तरल पदार्थ निकलने लगता है, जिसमें से सुगन्ध निचोड़ी जाती है और चाकू का वार लगातार जारी है क्योंकि 'सैंट' बनाना है।

बंदर की लिपस्टिक

दर्जनों बंदरों को एक साथ बैठाकर उनके गले में ट्यूब के जरिये अनेक प्रकार के तरल पदार्थ पेट में पहुँचा दिए जाते है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बंदर कभी नहीं खा सकता। जैसे 'लिपस्टिक', 'टैल्कम' या 'बालों का खिजाब'। इस परीक्षण से पता लगाया जाता है कि कितनी खुराक खा चुकने पर बंदर मर जाएंगे। ऐसा जहर पचा कर बच जाने वाले बंदरों का पोस्टमार्टम किया जाता है, महज यह पता लगाने के लिए कि ये कैसे बच गए ? दिन भर के प्रयोग के बाद सांयकाल में बंदरों की लाशों को कूढ़े की तरह फैंक दिया जाता है।

'स्लैडर लोरिस' नामक छोटे से बंदर की आंखें बड़ी-बड़ी और गोल होती हैं, जैसे कोई तश्तरी हो। नादान भाव इसके चेहरे से टपकते रहते हैं परन्तु लोगों की क्रूर पिपासा के आगे इसका नादान जीवन कुछ नहीं है। भारत में अब यह बंदर बहुत कम संख्या में रह गया है क्योंकि इसका शिकार अत्याधिक किया जा चुका है। इसकी आंखे निकाल ली जाती हैं। इसका दिल बाहर निकाल लिया जाता है। इन दोनों को पीसकर सौंदर्य-प्रसाधन सामग्री बनाई जाती है।

सांप से प्यार

सांप की खाल की खातिर असंख्य सांपों को पकड़ कर मार डाला जाता है। क्योंकि जिंदा खाल को खीचना सरल होता है, अतः जिंदा सांप की ही खाल उतार ली जाती है। सांप के सिर को कील से पेड़ के तने पर ठोक दिया जाता है। जिंदा सांप तड़पता रहता है और चाकू की मदद से उसकी खाल जिंदा अवस्था में उतरती रहती है। काम कर चुकने पर शिकारी थकान दूर करते हुए आनन्द की फुफकारी भरते हैं। जहरीला कौन अधिक .... ?

आपकी हजामत

'गिनी पिग' जैसे छोटे से जानवर की खाल को खरोंच कर उस पर 'आफ्टर शेव लोशन' का लेप किया जाता है। परीक्षण के रूप में यह पता लगाया जाता है कि यह लोशन आदमियों के गाल पर कहीं फोड़े, खाज या खुजली का 'रिएक्शन' न कर दे। अतः 'गिनी पिग' की खाल खरोंची जाती है, एक बार नहीं बार-बार। अनेक 'गिनी पिग' जान से मारे जाते है। आपके लिए

'आफ्टर शेव लोशन' के वास्ते।

बेचारे हिरण

अब कस्तूरी-मृग कश्मीर की घाटियों में ही पाया जाता है। बहुत कम संख्या में ये मृग शेष बचे हैं, क्योंकि कस्तूरी के लिए इन्हें पकड़ लिया जाता है। इन्हें पकड़ने के लिए ऐसे क्रूर तरीके अपनाए जाते हैं, जिनकी कल्पना भी कठिन है। घास के अन्दर कंटीले लोहे के ऐसे जाल बिछाए जाते हैं कि बेचारा हिरण पैर रखते ही उसमें फंस जाता है। स्वच्छन्द वातावरण में निर्बाध विचरण करने वाला यह मृग सहसा यों पकड़ में आ जाने पर छटपटाता है। लहू-लुहान अपने पैर को उस इस्पाती शिकंजे से निकालने की बराबर चेष्टा करता है और सिसक-सिसक कर प्राण त्याग देता है। इस प्रकार पकड़े गए औसतन तीन हिरणों में से दो को तो 'बेकार' समझ कर वहीं पड़े रहने दिया जाता है क्योंकि या तो वे कस्तूरी मृग नहीं होते या वे व्यावसायिक दृष्टि से अनुपयोगी समझे जाते हैं। उनकी जान का यही मूल्य है।

मगरमच्छ के पर्स

लोग कहते है कि मगरमच्छ सदा मुंह खोलकर हंसता है, लेकिन आदमियों की हंसी ज्यादा क्रूर है। मगरमच्छ को पानी से बाहर चालाकी से लाया जाता है और उसे जलविहीन परिस्थितियों में छटपटाने पर मजबूर किया जाता है ताकि उसकी मौत करीब और करीब आती जाए। एकाएक उसकी नाक में एक पैना छुरा घोंप दिया जाता है ताकि उसका जीवन समाप्त हो जाए। उसकी खाल पर बहुत लोग आंख लगाए हुए हैं क्योंकि उसका उपयोग चमड़े के रूप में महिलाओं के पर्स या सूटकेस आदि बनाने में किया जाता है।

वनराज की खाल

जहर से खाल खराब हो जाती है। बंदूक की गोली से खाल में गोल निशान पड़ जाते हैं। अतः बाघ को फंदे से पकड़ा जाता है। शिकंजे में उसका पंजा फंस जाने के बाद निकल नहीं सकता। हाथ की हड्डी टूट जाती है, खून निकल आता है। बेचारा जानवर दहाड़ता है। शिकारी उसे चारों ओर से तानियों के घेरें में भींचते हैं। तब तक भींचते रहते है जब तक कि उसकी जान न निकल जाए या फिर उसकी पूंछ ऊंची करके पीछे से तेज गर्म लोहे की छड़

उसके शरीर में घुसा दी जाती है। वह दहाड़ मार कर मर जाता है। बघेरे या बाघ की खाल जिंदा एवं साबुत बिना किसी निशान के बच जाती है।

गजराज के दांत

गजराज जैसे विशाल और शक्तिशाली जानवर तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। जगह-जगह ऐसे फल जंगल में बिखेर दिए जाते है, जिन पर विषैले रसायन का लेप पहले से किया गया होता है। हाथी उन्हें खाते ही चित हो जाते हैं। आकाश में मंडराते हुए गिद्धों से अंदाज लगा कर शिकारी वहां तक पहुँच जाते है और उन हाथियों के दांत निकाल कर बाजार तक ले जाते हैं। हाथियों के दांतों के लिए इतने विशाल जानवर को मार डाला जाता है। हाथियों के दांत से बनती हैं अनेक हाथीदांत की वस्तुएँ।

नादान कराकुल

मेमने तक को लोगों ने नहीं बक्शा है। कराकुल भेड़ के बाल बड़े घुंघराले और खाल अत्यन्त नरम होती है। मनचले लोग अपने शौक की पूर्त्ति के लिए इसी खाल के कपड़े तथा टोपी पहनना चाहते हैं लेकिन मेमने के पैदा होते ही उसके बालों का मुलायमपन कम हो जाता है। अतः मादा भेड़ को गर्भावस्था में ही बैंतों से पीटा जाता है। इस कदर बैंतों से उस पर प्रहार किया जाता है कि उसके प्राण पखेरू उड़ जाएं। मरते ही उसके पेट से होने वाले मेमने को निकाल लिया जाता है। पाशविकता इससे अधिक क्या होगी कि उस मेमने की खाल जिंदा अवस्था में ही उतार जी जाती है। उसके मरने तक का इंतजार नहीं किया जाता।

बेचारे कछुए

पानी के किनारे कुछ ऊंचाई पर जमीन खोद कर कछुए अपना घर बना लेते हैं जहां वे दीन दुनियाँ से दूर छुप जाते हैं। बेचारे कछुए को क्या पता ? उनके पांव तले की जमीन यकायक सरका दी जाती है और वे इस प्रकार उलटे लुढ़क जाते हैं कि सहसा सीधे नहीं हो पाते। उनके शरीर के कोमल अंगों को तनिक धूप दिखाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाता है। कारखानों में भेज कर इससे एक विशिष्ट तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग प्रसाधन सामग्री के रूप में किया जाता है। इस प्रकार कछुआ समुद्र तट से आपके कमरे में

प्रसाधन सामग्री के रूप में पहुँच जाता है।

नेवले की खाल

नेवला डरपोक होता है। कई लोग इसे पालतु बना लेते हैं परन्तु शिकारी लोग इसे लोहे की गर्म छड़ों से पीट कर बेहोश कर देते हैं या फिर इनके बिल में से इसका मुँह बाहर निकलते ही शिकंजे में इसकी गर्दन दबा ली जाती है। शिकंजे को जरा मोड़ते ही इसकी गर्दन टूट जाती है। अनेक शिकारी असंख्य नेवलों की गर्दन मोड़ने की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं क्योंकि इसकी खाल भी आपके लिए उपयोगी है। खाल तो आपके भी है न ...... ?

सील के शिशु

सील मछली के बच्चों के साथ भी क्रूरता कुछ कम नहीं होती है। कनाडा में बेसबाल खेलने के बल्ले जैसे डंडे से इस मछली के बच्चों की लगातार तब तक पिटाई की जाती है जब तक वे मर न जाएं। नार्वे में लोहे की तीखी सलाख सील के बच्चों के सिर में घुसा दी जाती है और उसकी खाल तुरन्त उतारने के लिए उसे चीर दिया जाता है। बेचारी माँ अपने शिशु के क्रन्दन को सुनती रहती है। जब शिकारी चले जाते हैं तो वह अपने शिशु के अस्थि-पिंजर के समीप आकर अपने मुँह से उस लहू-लुहान पिण्ड को सूंघती है। कहां गया उसका शिशु ? वह तो सदा के लिए विलुप्त हो गया, पर उसकी खाल किसी रईस का कोट बन गई।

सुअर के बाल

सुअर के बाल उखाड़ने में भी इसी प्रकार की क्रूरता अपनाई जाती है। नाना प्रकार के उत्पादों में इन बालों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु क्यों ? क्या सुअर के बाल के बिना काम नहीं चलता ? नगरों में सुअर के वध के दृश्य आसानी से देखे जा सकते हैं। जिंदा सुअर को हाथ-पैर बांध कर आग की लपटों में सेंका जाता है। सिर्फ स्वाद के लिए !

मिंक की मौत

मिंक नाम की जानवर पानी में रहता है और इसके बाहर भी। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि मुलायम बाल वाली इसकी खाल अत्यन्त मोहक एवं

लुभावनी होती है। अतः मिंक पर भी कहर ढाया जा रहा है। रईस लोगों के कोट की खातिर मिंक का व्यापक वध हो रहा है। 'चिनचिला' नामक दक्षिणी अमरीका के जानवर को भी मिंक की भांति आकरण सजा-ए-मौत सहनी पड़ती है।

बीवरों की खाल

चूहे जैसा ही जानवर होता है 'बीवर'। इसके शरीर से निकला तेल, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के काम आता है। इसकी खाल के कोट बनते हैं। छोटा सा यह जानवर रूमाल बराबर है। करीब ६० ऐसे जानवरों की खाल से एक व्यक्ति का कोट बनता है।

कुत्ते के कान

कुत्ता तो सर्वाधिक ईमानदार अंगरक्षक होता है। लेकिन आदमी उसकी जान का भी भक्षक बनता जा रहा है। बेशकीमती नस्ल के कुत्तों को एक साथ खड़ा करके उनके शरीर में विद्युत का करंट प्रवाहित किया जाता है। कांपते, सिहरते, कंपकंपाते हुए कुत्तों का झुंड-का-झुंड दम तोड़ देता है। इनके नर्म कान का उपयोग आपके शौक के लिए, आपके पर्स बनाने के लिए होता है।

इसके लिए उपाय भी हैं :—

वन्य जीवों के साथ ऐसे क्रूर व्यवहार करने के लिए विदेशी व्यापारियों को भारत एक बड़ी मंडी नजर आती है क्योंकि यहाँ पशु-पक्षी काफी संख्या में हैं। ऐसे वन्य जीवों को अनैतिक एवं गैर-कानूनी व्यापार भी जोरों पर है। खाल, सींग, प्रसाधन सामग्री और जीभ के स्वाद आदि की खातिर मानवता को ताक में उठा कर रख दिया जाता है। अधिकांशतः विज्ञान की प्रगति से अब रासायनिक रूप से बने पदार्थ उपलब्ध हैं, जो उसी उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिसके लिए पशुओं का वध किया जाता है। व्हेल मछली के तेल के स्थान पर सिन्थैटिक तेल बनाया जा चुका है, जिसका प्रयोग उतना ही असरदार है। खाल के कपड़ों के स्थान पर नाना प्रकार के कृत्रिम रासायनिक वस्त्र बनाए जा चुके हैं, जो देखने में जरा भी कृत्रिम नहीं लगते हैं। फिर भी ....।

फिर भी पशु-पक्षियों की हत्या और उनके साथ अमानवीय व्यवहार जारी है। औसतन एक जानवर को जिंदा पकड़ने या एक स्थान से दूसरे स्थान

पर भेजने में ५-७ जानवर मर जाते हैं। हाल ही में २० लाख जिंदा मगरमच्छ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बिकने के लिए एक देश से दूसरे देश में लाए गए परन्तु इनमें से आधे तो रास्ते में ही मर गए।

और आप ... ?

जरा सोचिए, इस प्रकार की क्रूरता का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है ? आप मानव हैं, आप में मानवीयता है। तो फिर चुप क्यों हैं ? पशुओं पर हो रही क्रूरता के निवारण में आपका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

ऐसे लावण्यमय जानवरों या वन्य जीवों का ऐसी क्रूरता से वध करने का अधिकार आपको किसने दिया ? क्या इस सुन्दर सृष्टि के रचने वाले की दृष्टि से आपका यह व्यापार छिपा हुआ है ? और क्या आपको इस कुकर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा ?"

इसी प्रकार एक दूसरे लेख को भी पढ़ें ।

"बेजबान जानवरों पर यह इन्सानी अत्याचार

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हम जानवरों के प्रति अत्याधिक क्रूर हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक दुकान पर एक व्यक्ति मुर्गा लटकाए लाया। उसने चाकू मांगा, दुकानदार के पास चाकू नहीं था। उसने उस मुर्गे का मुंह अपने जूते की नाल के नीचे रख कर जोर से कुचल दिया। मुर्गे की जरा सी 'कें' की आवाज उस ग्रामीण मेले की चीख-पुकार में गुम हो गई। खून टपकता वह मुर्गा उलटा लटका किसी हांडी में चढ़ने के लिए तेजी से ले जाया जा रहा था।

बहुत पहले अमेरीकन साहित्य में पढ़ा था कि मजबूत सांड मारे जाने से पहले गांव के बाहर ले जाए जाते। वहां उन्हें घोड़े से बांध दिया जाता। इसके बाद घोड़ा तेजी से गांव की ओर दौड़ता तथा अन्य सवार उस सांड को भाले घौंपते। खून के फव्वारे छूट रहे हैं तथा सांड खिचा जा रहा है, तेज दौड़ाया जा रहा है। प्रयास यह कि मरने के पहले वह गांव के जितने नजदीक लाया जा सके, ताकि ढोना न पड़े। कारण यह था कि महिलाएं व बच्चे इतने भीमकाय सांड को तड़प-तड़प कर जब मरता देखते, वे रोने लगते थे। बच्चों और

महिलाओं की भावना की खातिर गांव-गांव में यह प्रथा इस पिछली शताब्दी के मध्य तक चलती रही। उस सांड को मारने का जो वर्णन पढ़ा, उसे याद कर आज भी रौंगटे खड़े हो जाते हैं।

मनुष्य की निर्दयता की कोई सीमा नहीं। गर्म जूतों के 'क्रम' बनाने के लिए पैदा होते ही बछड़े पर बैतें मारी जाती है ताकि सारा खून उसकी चमड़ी में आ जाए व उसे खौलते पानी में, जिंदा डाल देते हैं। फिर वह चमड़ा उतार कर हमारे खूबसूरत नर्म-नर्म जूते बनाए जाते हैं।

किसी कसाई खाने का निरीक्षण करो। जानवर वहाँ मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि उनके पास भाषा होती तो वे कहते 'भगवान के लिए हमारा अंत जल्दी कर दो।' ट्रक में भरकर इन्हें लाया गया है। ये अधिकतर बूढ़े और बीमार है, कई-कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं। इनके पांव टूटे हैं। धूप में एक रस्सी से बंधे हैं। कोई दाना नहीं, कोई चारा नहीं। भाग्यवान हैं जो पहले दाखिल हो गये। जिन्हें घाव हैं, उन्हें सारे दिन चील कौए नोच रहे हैं। कमजोर लाचार ये प्राणी अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। इनसे खराब वे जो इन्हें सैंकड़ो मील पैदल दौड़ाकर दूर राजस्थान से मुम्बई लाए गए हैं। कुछ लंगड़े हैं मगर मौत का दयावान साया अभी भी दूर है। मैंने पढ़ा कि मुम्बई के कसाई-खानों में भेड़-बकरियाँ ट्रकों से निर्दयता से जमीन पर फैंक दी जाती है तथा टूटी टांगों का दर्द लिए वे बेसब्री से कसाई की छुरी का आशीष पा इसी दुःखी संसार से विदा होने की राह देखती रहती हैं। इसी मुम्बई के कसाईघरों का यह दृश्य आम है कि कत्ल के लिए ले जाती मां के पीछे जा रहे छोटे बछड़े के पैर तोड़ दिए गए क्योंकि बांधने को रस्सी नहीं है। उस बेबस के सामने उसकी मां का गला काटा जाता है, उसकी चमड़ी जीते जी उतारी जाती है। साथ ही बैल खड़ा है। बंधा बंधा वह निहार रहा है उसके सामने उसके साथी की गर्दन को दो हाथ ऊपर उठाए हैं ताकि छुरी फेरने में उन्हें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इन जानवरों पर इन घातों का इतना जबरदस्त सदमा है कि कई अवसरों पर इनको न बांधना जरूरी होता है न पकड़ना। हाथ-पैर भी नहीं बांधते। चुपचाप कसाई की छुरी को अपने पर चलते देखते हैं।

सांपों की चमड़ी जीवित निकालते हैं ताकि खूबसूरत बैग सुन्दरियों के लिए बन सकें। किसी गोहरे की कमर तोड़ दी ताकि उसे उबाल कर उससे तेल

निकाला जा सके, सूअर के छोटे-छोटे बच्चे उल्टे लटकाए जाते हैं तथा उसके बाल खींचे जाते है। उसकी चीख पुकार से आपको कष्ट न हो, इसलिए उसका गला लगभग दूसरे हाथ से घोंट दिया जाता है। ये बाल वे हैं जिससे आपकी दाढ़ी का ब्रुश बनता है।

इसके लिए शायद हमारा धर्म एवं दर्शन (आजकल प्रचलित तथाकथित धार्मिक मान्यतायें, जो वेद की मान्यताओं से सर्वथा विपरीत हैं) अधिक उत्तरदायी है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो या अरिस्टोटल की मान्यता थी कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। कांत जैसा महान दार्शनिक भी पशु अत्याचार को दुःख की सीमा नहीं मानता था, बल्कि मानव सुख की वृद्धि में उसे यह अनिवार्य लगता था। भारत में भी महाभारत काल के बाद यज्ञों में पशुहिंसा होने लगी तथा यह कहा जाने लगा कि इससे पशु सीधा स्वर्ग को जाता है। इसके उत्तर में चार्वाक का तर्क था कि यदि पशु सीधा स्वर्ग को उपलब्ध हो रहा है तो फिर यजमान अपने पुत्र को या वृद्ध पिता की बलि क्यों नहीं देता। वह भी सीधा स्वर्ग को चला जायेगा, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चार्वाक के इस तर्क का यज्ञों में पशु बलि देने वालों के पास कोई तर्क नहीं था। यह मात्र मांसाहार के लिए एक धार्मिक बहाना खोजा गया। ग्रीक दार्शनिकों का अत्याचार रोम इतिहास में पराकाष्ठा की सीमा पर चला गया। इधर भारत में भी हम जानवरों को या तो तड़पा-तड़पा कर मार रहे हैं या तड़प-तड़प कर मरने को छोड़ रहे हैं।"

धार्मिक हिंसा का अन्य रूप बाईबिल तथा कुरान में भी देखा जा सकता है। कुरान में पशुओं को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए हलाल किया जाता है, न कि उनकी जान एक झटके में ली जाती है। अर्थात् पशु को मारने के लिए कुरान की आयतों का पाठ करते हुए या फिर कलमा पढ़ते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाती है ताकि वह धार्मिक रूप से मरें तथा खुदा उसकी कुर्बानी कबूल कर ले। इस तरह पशु को तड़पा-तड़पा कर मारा जाता है।

इसी प्रकार के एक अन्य लेख में व्यक्ति स्वाद के लिए किन-किन जानवरों को मार कर खाता है, यह भी देखें —

"स्वाद के लिए अब चूहों, मेंढकों और केंचुओं की शामत

आजकल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग जिन जानवरों का सर्वाधिक भक्षण कर रहे हैं, उनमें चूहे, मेंढक और केंचए प्रमुख हैं। एक अधिकृत जानकारी के अनुसार आहार के रूप में विश्व में प्रति वर्ष दस लाख से भी ज्यादा चूहों की खपत होती है।(यह जानकारी इस पुस्तक को लिखे जाने से लगभग १५ से २० वर्ष पुरानी है अब यह संख्या कहीं अधिक होगी। यही बात आगे आने वाली संख्याओं के बारे में भी जाननी चाहिए।) चूहों को भूनकर, तलकर या उबालकर पकाया जाता है। चूहें खाने वालों का मानना है कि इस जन्तु में मुर्गी की तरह प्रोटीन तत्त्व अधिक और चर्बी कम होती है। एशिया, अफ्रीका और अमरीका के अनेक देशों में खाद्य पदार्थों में चूहे का व्यापक उपयोग होता है।

अफ्रीका, अर्जेंटीना और वेनेज्वेला के कई भागों में सौ-सौ पौंड के चूहे भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थ समझे जाते हैं। थाईलैंड तो ऐसा असाधारण देश है जो चूहों के उपयोग की खुलेआम वकालत करता है। वहां चूहे के नाना प्रकार के पकवान होटलों, रेस्तराओं में बढ़े चाव से परोसे जाते हैं। कुछ चूहों का चिकित्सा में भी उपयोग होता है। घाना में जिन बच्चों को काली खांसी हो जाती है, उन्हें औषधि के रूप में उबले हुए चूहे का सेवन कराया जाता है। चीन में तीन से चार करोड़ चूहें हैं। वहां के अखबार जनता को यह परामर्श देते हैं कि चूहों को हमें दैनिक भोजन का अंग बना लेना चाहिए क्योंकि चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यों चीन के कुछ दक्षिणी प्रांतों में चूहों का मांस अति जायकेदार भोजन माना जाता है, उसी प्रकार जैसे कुत्ते का मांस। चूहे के मांस में प्रोटीन बहुत होता है। चर्बी कम होती है और उसे पकाने में कम समय लगता है। यों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की पोषक सेवा के प्रमुख का मत है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से चूहों को खाने में कोई हर्ज नहीं है।

मेंढक :— आज कल मेंढक की टांगों की बिक्री विश्वभर में जोरों पर चल रही है। प्रतिदिन विश्व के कोने-कोने से मेंढकों की टांगे बर्फ में जमा कर अमरीका तथा पश्चिमी दुनिया के दूसरे देशों को भेजी जाती हैं। जहां मेंढक की टांगों को जायकेदार मसालों में भूनकर खाया जाता है। विश्व भर में भारत से

सर्वाधिक संख्या में मेंढकों की टांगें पश्चिमी देशों को निर्यात की जाती हैं।

मेंढकों की टांगों का निर्यात भारत में सर्वप्रथम १९६० में शुरू हुआ था। तब प्रति वर्ष ५० हजार किलो ग्राम मेंढक की टांगें विदेशों को निर्यात की जाती थीं। लेकिन पिछलें कुछ वर्षों में इस कारोबार ने भारी फैलाव किया है। वर्ष १९८० में हमारे यहां से मेंढक की जो टांगें निर्यात की गई, उसका वजन ३५ लाख किलोग्राम तक जा पहुँचा था। और १९८१ में तो यह मात्रा बढ़कर ४५ लाख किलोग्राम हो गई। १९८१ में भारत से नीदरलैंड, अमरीका, बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा और पश्चिमी जर्मनी को मेंढक की टांगों के निर्यात से १ अरब २० लाख रूपए की आय हुई। इसके अतिरिक्त १९८१ में ही भारत ने बंगलादेश को सात करोड़ मेंढकों का निर्यात किया।

लेकिन मेंढक की टांगों का यह कारोबार इतना जघन्य और निर्दयतापूर्ण है कि उसके वर्णन मात्र से रोगंटे खड़े हो जाते हैं। जहां मेंढक का आधे से अधिक शरीर इस व्यापार में निकम्मा रहता है, वहां मेंढक की सिर्फ पिछली टांगों को ही उसके बाकी हिस्से से काट कर खाने के काम में लिया जाता है। इस प्रकार मेंढक के शरीर का लगभग ६५ प्रतिशत हिस्सा व्यर्थ में ही काटकर फेंक दिया जाता है। अपनी पिछली टांगों के जायकेदार स्वाद की खातिर पूरा का पूरा मेंढक जान से मार दिया जाता है।

मेंढक का शिकार करने वाले ४ या ५ व्यक्तियों के समूह में अपने शिकार के लिए रात के अंधेरे में निकलते हैं। इन लोगों के हाथ में टार्च और कंधों पर जूट के बोरे लदे रहते हैं। रात के अंधेरे में ये मेंढकों की आंखों पर टार्च की रोशनी फेंकते हैं, जिससे मेंढक अंधे हो जाते हैं। फिर एक-एक करके इन मेंढकों को पकड़कर बोरों में भर लिया जाता है। एक दल एक रात में दो से तीन टन के लगभग मेंढक पकड़ लेता है। शिकार के पश्चात् टर्राते-चीखते, दर्द भरी आवाज में चिल्लाते मेंढकों के बोरों को ट्रकों में भरकर उन फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इन जीते-जागते मेंढकों की पिछली टांगों को उनके शरीर से काट कर अलग करने का कार्य होता है।

आम तौर पर बोरों में बंद मेंढकों की अन्तिम यात्रा लगभग दो या तीन दिनों तक चलती है। आपस में रगड़ खाते हुए व कराहते हुए प्रत्येक १००० के पीछे ३० तो लगभग इसी यात्रा के दौरान ही मर जाते हैं। कई बार

इन मेंढकों को मिर्च भरने वाले या नमक के बोरों में भर दिया जाता है। उस हालत में पूरे के पूरे मेंढक ही फैक्टरी पहुंचने से पहले ही मर चुके होते हैं। मरे हुए मेंढक बाद में किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि इनकी टांगों का रंग बदल जाता है और वे खाने के लायक नहीं रहती।

फैक्टरी में पहुंचने के बाद मेंढकों को उनके आकार के अनुसार अलग-अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है। फिर इन्हें नायलोन के बोरों में फेंका जाता है। इन बोरों में क्लोरिन की मदद से मेंढकों को बेहोश किया जाता है। आम तौर पर मेंढकों पर बेहोशी छाने में सिर्फ १५ से २० मिनट का समय लगता है। लेकिन फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को इतना इन्तजार करने की तसल्ली नहीं होती। इस तरह ५ या १० मिनट पश्चात् ही मेंढकों की हत्या का काम शुरू हो जाता है। ६० प्रतिशत मेंढकों को बेहोशी से पहले ही यानी उनके पूरे होशोहवास में काटा जाता है। एक-एक मेंढक को बोरे से बाहर निकाला जाता है और बड़े-बड़े छुरों की मदद से उसकी पिछली टांगें उसके बाकी शरीर से अलग कर दी जाती हैं। कटी हुई टांगों को एक तरफ डाला जाता है और टांगों के ऊपरी भाग से बहते हुए खून पर क्लोरिन एसिड लगाया जाता है। फिर टांगों से छोटे-छोटे पैरों को काटकर इन टांगों को पोलीथीन के थैलों में एक-एक करके पैक कर दिया जाता है। बाद में टांगों के पैकेटों को कोल्ड स्टोरेज में फ्रीज होने के लिए भेज दिया जाता है।

जहां कटी हुई टांगों को हिफाजत से संभालकर रखा जाता है, वहीं मेंढक का बाकी शरीर जमीन पर एक कोने में तड़पता, कराहता और दर्दनाक रूप से चिल्लाता हुआ फैंक दिया जाता है। एक के बाद एक कटते हुए सैंकड़ों और हजारों टांगविहीन मेंढकों का ढेर कोने में लग जाता है। बाद में मेंढकों के कटे हुए शरीरों के बदबूदार ढेर को ट्रक में भरकर दूर ले जाकर डाल दिया जाता है। दर्द और खून से लथपथ ये कटी टांग वाले मेंढक कराहते और दर्दनाक रूदन करते हुए ५ या ६ घंटे बाद मर जाते हैं। इन्हें फिर चील, कौए, गिद्ध और कुत्ते खा जाते हैं। बहरहाल, मेंढक की टांगें विदेशी होटलों में शाही मेहमानों को ऊंची कीमत पर बड़े लुत्फ के साथ परोसी जाती हैं। (कितना घृणित है यह मानव समाज का नक्शा। इन्सान नाम का यह पशु, पैसे के लिए इन बेजुबान जानवरों पर कितना अत्याचार करता है।)

केंचुए

मेंढक की टांग जैसे ही शौक से खाया जाता है — कुलबुलाने वाला केंचुआ। जमीन पर रेंगकर चलने वाला यह जीव लम्बाई और गोलाई में तरह-तरह का होता है। प्रशान्त द्वीप समूह में केंचुए एक इंच लम्बे होते हैं, जबकि अस्ट्रेलियाई केंचुओं की लम्बाई आठ फुट तक देखी गई है।

दुनिया की कई जातियों के लिए केंचुआ बहुत स्वादिष्ट भोजन बन गया है। हमें भले ही यह सोचकर मितली आती हो कि भला यह रेंगने वाला जीव भी कोई खाने की चीज है, पर जो लोग इसे खाते हैं, उन्हें यह बहुत पसन्द आता है। अफ्रीका में हर तरह के केंचुए खाए जाते हैं और वह भी एकदम कच्चे। खाने वालों का कहना है कि इसका स्वाद कुछ तीखा जरूर होता है, पर मधुर भी। आस्ट्रेलिया के आठ फुट लम्बे और तीन इंच गोल दैत्याकार केंचुओं को भी लोगों ने भूनकर खाया है। उनका कहना है कि "इनका स्वाद पोर्क सॉसेज से कतई भिन्न नहीं है।"

अमरीकियों ने केंचुओं से तरह तरह के व्यंजन बनाने के प्रयास किए हैं। लास एंजैल्स में हर साल एक प्रतियोगिता होती है जिसमें केंचुए से तैयार किए गए सर्वश्रेष्ठ पकवान को पुरस्कृत किया जाता है। चीनियों को जब किसी स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आवश्यकता महसूस होती है, तब तले हुए केंचुए की एक प्लेट उन्हें सबसे ज्यादा उपयुक्त नजर आती है। लोगों का मानना है कि केंचुआ विटामिन डी से भरपूर खुराक है। सबसे से निर्दयतापूर्वक बात यह है कि केंचुए के विभिन्न पकवान बनाने के लिए उन्हे पहले मारने की आवश्यकता नहीं समझी जाती बल्कि जीवित ही उन्हें भूना, तला या पकाया जाता है।

चीन में निर्दयता की चरम सीमा

वैसे हर तरह के जानवरों को खाने के मामले में चीनियों का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। एक चीनी रेस्तरा के 'मीनू कार्ड' का मुआयना भर आपको तिलमिला कर रख देगा। जरा वहां परोसी जाने वाली चीजों के नाम तो पढ़िये — सांप का मांस, सालम अमरीकी चूहे, कुत्ते के मांस की चटनी, बंदर की सिरी का सूप, मसालेदार समुद्री कछुआ, तला मेंढक, चीते की रान का मांस, अजगर का सूप, बिल्ली का ताजा मांस, आदि आदि।

चीन में जंगली बिल्ली का मांस हर मौसम में खाया जाता है। एक बड़े

होटल में औसत आठ से नब्बे बिल्लियाँ रोज मारी जाती हैं। इससे बड़ी भंयकरता क्या होगी कि कई होटलों में पहले ग्राहक को जीवित बिल्ली दिखा दी जाती है और फिर उसे खौलते हुए पानी में जिंदा डाल दिया जाता है। दो-तीन मिनट के बाद उसे वहाँ से निकाल कर उसे काटा जाता है। कभी-कभी इस अवस्था में बिल्ली जिंदा होती है। फिर उसे ग्राहक की मनपसन्द स्वाद के अनुसार तला या पकाया जाता है। चीन के युनान प्रांत और होपियों में बंदरों को भी मार कर खाया जाता है। कैण्टन में तो एक रेस्तरा है, जहां केवल सांप ही पकते हैं। ग्राहक को मनपसंद जिंदा सांप पहले दिखा दिया जाता है और फिर हाथों हाथ मारकर तुरत-फुरत पकाया और ग्राहक को परोसा जाता है।

चीनी रसोइये एक ही बात की शेखी बघारते नहीं थकते कि ऐसा कोई भी जीव-जन्तु जो चलता हो, तैरता हो या उड़ता हो उससे लाजवाब खाना तैयार कर सकते हैं। और सर्दियां तो चटपटी तली और भुनी चीजें खाने को मौसम है। इन रसोईयों का कहना है कि कुछ विशेष खाने तो साल भर बनाए जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मतलब है सांप, भालू के पंजे, चूहे, पिल्ले तथा बंदरों की बहार। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में अन्य पारम्परिक मांस नहीं खाये जाते, मछली, मुर्गा इत्यादि भी भोजन में शामिल रहता है।

उनका कहना है कि हमारी विशेषता मांस को भाप से पकाना या जड़ी बूटियों के सत से तैयार सूप में घंटों भिगोकर उबालना और खाने को गरमागरम परोसना है। उनका विश्वास है कि इससे पुरुषत्व बना रहता है और रोग कोसों दूर रहते हैं।

सांप के मांस को सब्जियों के साथ भून कर सूप के साथ खाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है तथा रक्तवर्धक होता है। यही नहीं, उनका कहना है कि अगर सांप के पित्त को शराब के साथ मिलाकर पिया जाए तो इससे आंख की रोशनी बढ़ती है। लेकिन सांप का सबसे लोकप्रिय व्यंजन 'ड्रेगन एंड टाईगर लाक्ड इन ए बैटल' है। इस अजीबोगरीब नाम वाले व्यंजन में तीन तरह के विषैले सांपों का मांस होता है। उन्हें तेंदुए के मांस के साथ भाप में पकाया जाता है। पक जाने पर इसे नींबू की पत्ती और डहेलिया की पंखुड़ियों में सजाकर पेश करते है। इस तरह के शाही ठाठ और नफासत से तैयार होने वाला मांस हर समय यहां उपलब्ध नहीं होता है और बाजार में आते ही गायब हो जाता है।

कुछ वर्ष पूर्व बाहर बंगाली शेर चोरी छिपे यहां बाजार में लाए गए। इससे पहले कि पशु-प्रेमियों को हवा मिलती और वे कुछ आवाज उठाते, उन्हें हलाल कर दिया गया। भीड़ उनके मांस और हड्डियों की खरीद के लिए टूट पड़ी थी। चीनियों का विश्वास है कि शेर का मांस खाने से वे साहसी और बलवान होंगे, जबकि इसकी हड्डियों को शराब में डुबोकर ऐसा टानिक तैयार होता है जो वात रोग और अंदरूनी चोटों के लिए रामबाण माना जाता है।

घूस चूहे को भाप में पका कर भून कर एक विशेष परन्तु गोपनीय मसाले में लपेट कर खाने को पूरा ताइपे बेताब रहता है। घूस चूहे को आदिवासी पहाड़ों से पकड़ लाते हैं। घूस का मांस पौष्टिक माना जाता है।

चीनी मूल के कई देशों में काक्रोज को जिंदा, तला या भुना हुआ खाया जाता है। सिंगापुर में एक रसोईये ने जिंदा मछली को तलने का प्रदर्शन किया जिसमें कई बार तले जाने के बाद भी मछली प्लेट में जिंदा तड़तपी अवस्था में होती थी। इसे देख मांसाहारियों ने भी इसे अमानवीय बताया।"

इन सभी जानवरों का मांस खाने के लिए उनके मरने तक का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि अपनी सुविधा अनुसार उन्हें मार डाला जाता है। मांस खाने के लिए जानवरों को मारना अमानवीय, बर्बरतापूर्ण, अनैतिक तथा मानवता के नाम पर कलंक और निराजंगली पन है।

एक अन्य लेख अनुसार चाँदी का वर्क जो सामान्य तौर पर शाकाहारी व्यजंन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे बनाने की विधि सुनकर आप दंग रह जाएंगे तथा अपना माथा पीट लेंगे।

"चांदी के वर्क मांसाहारी हैं

क्या आप भोजन के अंत में पान, मिठाई, या शुखबूदार सुपारी खाना पसन्द करते हैं। इन चीजों पर वर्क लगा होता है। घर में, त्यौहारों पर बनने वाली मिठाई पर वर्क होता है। यह चांदी का वर्क मंहगा नहीं होता।

यह चांदी का वर्क कैसे बनता है ? इसकी असलियत समझकर शाकाहारी लोग अपना कलेजा थाम लेंगे।

बैल की आंत की तहों की किताब सी बनाकर उसमें चांदी की पतली पत्ती रखकर वर्क बनाया जाता है। बैल को बूचड़खाने में मारने के बाद उसकी

आंते निकाल कर फौरन वर्क बनाने वाले को बेच दी जाती हैं। पुरानी आंतों से बनी चमड़ी काम नहीं आती, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद उसमें लचक जाती रहती है। वर्क बनाने वाला आंतों से खून-टटी और मांस साफ करके उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है, और एक के ऊपर एक रखकर तहों की किताब सी बना लेता है। किताब के एक-एक पन्ने में चांदी या सोने के टुकड़े रखकर हथोड़े से मार मारता है। ऐसा करने से चांदी या सोने की पत्ती पतली होते होते वर्क का रूप धारण कर लेती है। बैल की आंते इतनी मजबूत होती है कि लगातार हथोड़े मारने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता और फिर इसमें रखी चांदी की पत्ती इधर उधर नहीं होती। हथोड़े मारने से बैल की आंत का कुछ अंश अवश्य ही वर्क में मिल जाता है।

इसके बाद वर्क वाला यह वर्क हलवाईयों और मीठी सुपारी बनाने वालों को थोक में बेच देता है। छोटे पैमाने पर वर्क तैयार करने वाले लोग मंदिरों को वर्क बेचते हैं, जहां वर्क को प्रसाद पर चढ़ाया जाता है। और इस तरह शाकाहारी प्रभु भक्त भी अनजाने में वर्क के रूप में मांस खा जाते हैं।

यह वर्क गंदी चीज तो है ही, मांसाहार भी है। मांस खाने वाले भी आंत नहीं खाते। और तो और मेरा तो यह मत है कि यह वर्क, सुपारी और मिठाई आदि को भी मांसाहार बना देता है। कुछ वर्ष पूर्व इंडियन एअरलाइन्स को जब इस तथ्य का पता चला कि वर्क शाकाहार नहीं है, तभी से भारतीय विमानों में परोसी जाने वाली मिठाई पर वर्क नहीं चढ़ाया जाता। मिठाई के शौकीन शाकाहारी लोग अब तक बैल की कई मील लम्बी आंतो को खा चुके होंगे।" — मेनका गांधी , "पर्यावरण डाइजेस्ट" से साभार।

रेशम के कपड़े —

रेशम के कपड़े रेशम से बनते हैं, जो रेशम के कीड़ों को मारकर प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा जब अण्डे से निकलता है, तो वह लगभग एक इंच के आठवें भाग के बराबर होता है। रेशम को प्राप्त करने हेतु इन कीड़ों का अलग से पालन होता है, और इनको मेलबरी पेड़ की पत्तियाँ का अत्याधिक भोजन २० से ३५ दिनों तक दिया जाता है, जिससे ये इस अवधि में ३.५ इंच तक लम्बे हो जाते हैं। एक रेशम के कीड़े से १०००-२००० फीट लम्बा रेशम का धागा प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक गज रेशम के कपड़े हेतु लगभग ३००० कीड़ों

को गरम पानी में डाल कर अथवा गरमी देकर मार दिया जाता है, जिससे इनसे रेशम की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार रेशम को प्राप्त करने हेतु व्यापक रूप से हिंसा की जाती है, ताकि आपके लिए रेशमी कपड़े बनाये जायें।

हम यह यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ईश्वरीय व्यवस्था मानवीय मान्यताओं के अनुसार नहीं बदलती, वरन् वह सार्वभौम तथा सभी जीवों के लिए एक सी है चाहे कोई इसे माने या न माने। आज का मानव जब अपने कुकर्मों के कारण पशु-पक्षी योनियों में जाएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार, तब का मानव समाज भी करेगा। अर्थात् जो हम आज अन्य प्राणियों के साथ कर रहे हैं वही कल हमारे साथ भी होगा। कितनी हिंसा! कितना कष्ट! कितना अत्याचार! कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ भोगना ही भोगना होगा। अपने आप को इन प्राणियों के शरीर में रखकर, और उन पर होने वाली हिंसा की कल्पना करके तो देखो और समझो कैसा लगता है। अगर अभी कल्पना से समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही कष्टों और अत्याचारों को सहने और भोगने हेतु तैयार रहें। कहा भी है —

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेधते॥
यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते॥
यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च।
तदवाप्नोत्ययत्नेन या हिनस्ति न किञ्चन॥ मनु० ५.४५-४७॥

अर्थात् जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते हुए और मरकर कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता॥

जो प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुँचाने की इच्छा नहीं करता वह सब प्राणियों का हितैषी बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है॥

जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करता वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है और जहां धैर्य से मन लगाता

है उसको सुगमता से प्राप्त कर लेता है।

हिंसा करने वाला प्राणी न तो सुख को प्राप्त करता और न अपने शुभ कार्यों तथा संकल्पों को प्राप्त कर पाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंसा असंख्य प्रकार की है, तथा इससे निश्चित रूपेण दुःख रूप फल ही मिलता है। अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति ही इसमें फंस कर दुःख और अज्ञान की अन्ध श्रृंखला में चलता चला जाता है। अतः हिंसा, द्रोह किसी से भी नहीं करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं :—

ना रुंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोह कर्मधीः।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्॥ मनु० २.१३६॥

अर्थात् मनुष्य स्वयं दुःखी होता हुआ भी किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे, न दूसरे के प्रति ईर्ष्या या बुरा करने की भावना मन में लाये। मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो उस ऐसी अप्रशंसनीय वाणी को भी लोक में दूसरों के प्रति न बोले।

अर्थात् मन, वचन और शरीर से दूसरों के प्रति द्रोह न करे, हिंसा न करे।

